न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 117/2012(2012/00005)

उनवान

1. श्रीमती केलीदेवी पत्नि पांचूजी
2. शैतान सिंह पुत्र धन्ना सिंह

समस्त जाति रावत निवासी बडल्या तहसील अजमेर जिला अजमेर। ....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्रीमती फूलीदेवी पत्नि रतनसिंह
2. श्रीमती झूमी पत्नि धर्मा
3. भॅवर
4. मोती
5. मजबूत पुत्रान धर्मा
6. केसी पुत्री धर्मा
7. गीता पुत्री धर्मा

   समस्त जाति रावत निवासी बडल्या, तहसील व जिला अजमेर

8. आवंटन सलाहकार समिति अजमेर जरिये प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान पंचायत समिति, श्रीनगर, सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर। .... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड — अभिभाषक प्रार्थीया
2. श्री हेमराज राठौड — राजकीय अभिभाषक

दिनांक – 15.01.2019

आदेश

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बडल्या स्थित आराजी खसरा नं0 2124 रकबा 00–08–00 बीघा जिसके आधारभूत खसरा नं0 2390 रकबा 0.06 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जो वर्किंग नक्शा ट्रेस सन् 1971–72 के मुताबिक किशनगढ–ब्यावर मुख्य मार्ग बाईपास पर स्थित है। खसरा नं0 2124 व 2131 के पूर्वी तरफ तथा खसरा नं0 2733 के पश्चिमी तरफ उक्त खसरा नम्बरान के मध्य होकर मुख्य बाईपास से दक्षिण की ओर रास्ता गमन करता है। आधार भूत नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते के चार भाग किये जाकर आधारभूत खसरा नं0 2391, 2392, 2393 तथा 2394 नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया। मौके पर खसरा नं0 2193 व 2194 को आधारभूत खसरा नं0 2397 तथा 2396 में शामिल कर दिया गया एवं रास्ते की भूमि वर्किंग खसरा नम्बर 2733 में 5 बिस्वा तथा 2732 में 5 बिस्वा शामिल कर उक्त रास्ते की आराजियात को अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 के पूर्वज श्रीमती बन्नी बेवा नाथा एवं धर्मा पुत्र नाथा को नियमन की गई एवं जरिये नामान्तरकरण संख्या 170 जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया। वर्किंग खसरा नं0 2733 के आधारभूत खसरा नम्बर 2397 रकबा 0.17 हैक्टर तथा 2397/6052 रकबा 0.4 हैक्टर अर्थात

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

कुल 0.21 हैक्टर मुर्तिब कर दिये गये। जबकि वर्किंग जमाबन्दी के अनुसार खसरा नं0 2733 का रकबा 1–06–00 बीघा है। अर्थात 1 बिस्वा भूमि बढा दी गई तथा वर्किंग खसरा नं0 2733 के पूर्व में अवस्थित रास्ते की 5 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 2733 में शामिल करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 7 के पूर्वजों को नियमन कर दी गई। इसी प्रकार वर्किंग खसरा नम्बर 2732 में भी 5 बिस्वा भूमि जो रास्ता भूमि थी, को शामिल करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 के पूर्वजो को आवंटन की गई। तत्पश्चात खसरा नम्बर 2733 रकबा 1–01–00 बीघा में से 15 बिस्वा भूमि तथा खसरा नं0 2733 की 5 बिस्वा भूमि नियमन होने के पश्चात कुल 1–00–00 बीघा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 द्वारा अप्रार्थीया संख्या 01 को विक्रय की गई। आधारभूत जमाबन्दी में अप्रार्थीया संख्या 01 के नाम 20 बिस्वा के स्थान पर 0.17 हैक्टर अर्थात 21 बिस्वा भूमि दर्ज कर प्रार्थीगण की खातेदारी कुल 8 बिस्वा भूमि के स्थान पर आधारभूत जमाबन्दी में 0.07 हैक्टर के बजाय 0.6 हैक्टर भूमि दर्ज करते हुए प्रार्थीगण की 1 बिस्वा भूमि कम कर दी गई। मौके पर खसरा नं0 2733 की 1–01–00 बीघा भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि शेष नहीं है। वर्किंग नक्शा ट्रेस के अनुसार शेष भूमि रास्ता भूमि है जो गलत रूप से नियमन की गई। अप्रार्थीया संख्या 01 के नाम दर्ज भूमि में 5 बिस्वा भूमि रास्ता भूमि है जिसकी आड में अप्रार्थिया संख्या 01 उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर प्रार्थीगण के खेत वर्किंग खसरा नं0 2124 जिसके आधारभूत खसरा नं0 2390 मुर्तिब किये गये, में रास्ता निकालने पर सख्त आमादा है। अप्रार्थीगण रास्ता भूमि के नियमन आदेश एवं विक्रय पत्र की आड में गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्ध करने पर सख्त आमादा है। प्रार्थीगण द्वारा वर्किंग खसरा नं0 2732 रकबा 5 बिस्वा एवं 2733 रकबा 5 बिस्वा के नियमन को विधि विरूद्ध बताते हुए आवंटन सलाहकार समिति/प्रभारी अधिकारी कैम्प बडल्या पंचायत समिति श्रीनगर द्वारा पारित नियमन आदेश दिनांक 29.1.96/12.2.96 को निरस्त फरमाने एवं वादग्रस्त रास्ता भूमि को वर्किंग नक्शा ट्रेस की भांति आधारभूत नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किया जाकर दर्शित करने एवं वर्किंग नक्शा ट्रेस में दर्ज रास्ते को यथावत खुला रखने के अनुतोष के यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को विधिवत् सुनवाई का नोटिस दिया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 8, 9 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम बडल्या स्थित आराजी खसरा नं0 2124 रकबा 00–08–00 बीघा जिसके आधारभूत खसरा नं0 2390 रकबा 0.06 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जों वर्किंग नक्शा ट्रेस सन् 1971–72 के मुताबिक किशनगढ–ब्यावर मुख्य मार्ग बाईपास पर स्थित है। खसरा नं0 2124 व 2131 के पूर्वी तरफ तथा खसरा नं0 2733 के पश्चिमी तरफ उक्त खसरा नम्बरान के मध्य होकर मुख्य बाईपास से दक्षिण की ओर रास्ता गमन करता है। आधार भूत नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते के चार भाग किये जाकर आधारभूत खसरा नं0 2391, 2392, 2393 तथा 2394 नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया तथा मौके पर खसरा नं0 2193 व 2194 को आधारभूत खसरा नं0 2397 तथा 2396 में शामिल कर दिया गया। रास्ते की भूमि वर्किंग खसरा नम्बर 2733 में 5 बिस्वा तथा 2732 में 5

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

बिस्वा शामिल कर उक्त रास्ते की आराजियात को अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 के पूर्वज श्रीमती बन्नी बेवा नाथा एवं धर्मा पुत्र नाथा को नियमन कर जरिये नामान्तरकरण संख्या 170 जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया। वर्किंग खसरा नं0 2733 के आधारभूत खसरा नम्बर 2397 रकबा 0.17 हैक्टर तथा 2397/6052 रकबा 0.4 हैक्टर अर्थात कुल 0.21 हैक्टर मुर्तिब किये गये। जबकि वर्किंग जमाबन्दी के अनुसार खसरा नं0 2733 का रकबा 1–06–00 बीघा है। अर्थात 1 बिस्वा भूमि बढा दी गई। वर्किंग खसरा नं0 2733 के पूर्व में अवस्थित रास्ते की 5 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 2733 में तथा खसरा नम्बर 2732 में भी 5 बिस्वा भूमि जो रास्ता भूमि थी, को शामिल करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 7 के पूर्वजों को नियमन कर दी गई। इसी प्रकार वर्किंग खसरा नम्बर 2732 में भी 5 बिस्वा भूमि जो रास्ता भूमि थी, को शामिल करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 के पूर्वजो को आवंटन कर दी गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 द्वारा नियमन होने के पश्चात खसरा नम्बर 2733 रकबा 1–01–00 बीघा में से 15 बिस्वा भूमि तथा खसरा नं0 2733 की 5 बिस्वा भूमि कुल 1–00–00 बीघा भूमि अप्रार्थीया संख्या 01 को विक्रय कर दी गई। इस प्रकार आधारभूत जमाबन्दी में अप्रार्थीया संख्या 01 के नाम 20 बिस्वा के स्थान पर 0.17 हैक्टर अर्थात 21 बिस्वा भूमि दर्ज कर प्रार्थीगण की खातेदारी कुल 8 बिस्वा भूमि के स्थान पर आधारभूत जमाबन्दी में 0.07 हैक्टर के बजाय 0.6 हैक्टर दर्ज करते हुए प्रार्थीगण की 1 बिस्वा भूमि कम कर दी गई। मौके पर खसरा नं0 2733 की 1–01–00 बीघा भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि शेष नहीं है। वर्किंग नक्शा ट्रेस के अनुसार शेष भूमि रास्ता भूमि है जो गलत रूप से नियमन की गई। अप्रार्थीया संख्या 01 के नाम दर्ज भूमि में 5 बिस्वा भूमि रास्ता भूमि है जिसकी आड में अप्रार्थिया संख्या 01 उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर प्रार्थीगण के खेत वर्किंग खसरा नं0 2124 जिसके आधारभूत खसरा नं0 2390 मुर्तिब किये गये, में रास्ता निकालने पर सख्त आमादा है। अप्रार्थीगण रास्ता भूमि के नियमन आदेश एवं विक्रय पत्र की आड में गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्ध करने पर सख्त आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर आक्षेपित नियमन आदेश दिनांक 29.1.96/12.2.1996 निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त रास्ता भूमि को वर्किंग नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किया जाकर दर्शित करने एवं वर्किंग नक्शा ट्रेस में दर्ज रास्ते को यथावत खुला रखने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने मुख्यतः कथन किया कि राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में पंचायत मुख्यालय ग्राम बडल्या में आयोजित राजस्व शिविर दिनांक 29.1.96 में नियमन योग्य प्रकरणों को वर्ष 1970–72 की प्रचलित बाजार दर से राशि जमा कराने पर अप्रार्थीगण 2 से 7 के पुर्वज मु0 बन्नी बेवा नाथा एवं धर्मा/नाथा रावत को खसरा संख्या 2732 रकबा 0–5–00 बीघा तथा खसरा नं0 2733 रकबा 0–5–00 बीघा किस्म बारानी 2 भूमि का नियमन किया गया। रिकार्ड में रास्ता नहीं होने से रास्ता खुलवाने का वांछित अनुतोष नियमानुसार देय नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर विधिवत रूप से विवादित भूमि का नियमन दिनांक 29.01.96/12.2.96 को अप्रार्थी सं0 02 से 07 के पूर्वज के पक्ष में किया गया था। प्रार्थीगण, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। बहस जारी रखते हुए राजकीय अभिभाषक ने अन्त में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मजमें आम में किये नियमन

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

को विधिवत् बताते हुए प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फमरया जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 29.1.96 को राजस्व कैम्प बडल्या तहसील अजमेर में ग्राम बडल्या तहसील व जिला अजमेर स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 2732 रकबा 0–5–00 बीघा तथा खसरा नं0 2733 रकबा 0–5–00 बीघा किस्म बारानी 2 भूमि का नियमन किया गया। नियमन आदेश के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 170 द्वारा दिनांक 29.2.96 को खातेदार के रूप में आवंटी का नाम दर्ज किया गया। आंवटी के फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 524 दिनांक 20.9.05 द्वारा वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 2 से 07 का नाम दर्ज किया गया। खसरा नं0 2733 में से कुल 20 बिस्वा भूमि का बेचान के आधार पर अप्रार्थीया संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 14(4) भू राजस्व अधिनियम में उल्लेखित कथनों बाबत कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रश्नगत भूमि बाबत किये गये आवंटन/नियमन में किसी प्रकार से विधि विरूद्ध तथ्य नहीं पाया जाने के फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner